फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/00233

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री किशोर कुमार कच्छवाह पुत्र श्री लाधाजी
जाति कच्छवाह
निवासी अग्रसेन नगर डीसा
जिला बनासकांठा गुजरात ।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार आबूरोड़
आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 35 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
0.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 04.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ओरिया में थील एडवेंचर पार्क को गौचर भूमि किस नियम के तहत उपलब्ध कराई थी आबूपर्वत पर कुल कितने आवासीय भवन एवं अवैध होटल निर्मित है उन्हें तोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया जारी है एवं निर्माण हेतु कौन–कौनसी सामग्री लाई जा सकती है से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 04.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ओरिया में थील एडवेंचर पार्क को गौचर भूमि किस नियम के तहत उपलब्ध कराई थी आबूपर्वत पर कुल कितने आवासीय भवन एवं अवैध होटल निर्मित है उन्हें तोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया जारी है एवं निर्माण हेतु कौन–कौनसी सामग्री लाई जा सकती है से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिये पत्र क्र. 1380–81 दिनांक 30.09.2019 द्वारा तहसीलदार आबूरोड़ एवं आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत भेजा गया। अत: अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई उपलब्ध सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे । यदि सूचना [illegible] में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित [illegible] आबूपर्वत के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अत: [illegible] नगरपालिका सक्षम अपील अधिकारी को [illegible] सकती है। [illegible] फैसल शुमार होकर नं[illegible] से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	275-77 13/8/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:48:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner